छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/5–8/2020/10–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21/09/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, सेक्टर–19
नवा रायपुर, अटल नगर ।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर द्वारा महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट फेस–2 के तहत भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.923 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–829/1623 दिनांक 31.08.2020।

----00----

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/– विषयांकित प्रकरण में सम्पूर्ण वनमंडलों में विभिन्न ग्राम पंचायतों को जोडते हुए आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु एक्जाई वन भूमि की गणना कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन भूमि की गणना में एक ही वन कक्ष का अनेक बार प्रविष्टि की गई है, जिससे स्पष्ट नही हो रहा है कि, उक्त वन क्षेत्र में कुल आवेदित रकबा कितना है ?

3/– उक्त प्रकरण में राज्य शासन स्तर से जारी किये जाने वाले अनुमति में आवेदित वन क्षेत्र का विवरण निम्न तालिका अनुसार दर्ज किया जाना होगा :–

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4/– अतः आदेशानुसार निवेदन है कि उपरोक्त तालिका अनुसार प्रत्येक वन कक्ष का कुल आवेदित रकबा दर्शाते हुए विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

21.9-2020
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक5–8/2020/10–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21/09/2020

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

21.9.2020
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग